भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 597

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

केरल के अलाथुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जेजेएम की प्रगति

597. श्री के. राधाकृष्णनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल में, विशेषकर अलाथुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,
(ख) केरल में जल जीवन मिशन के लिए निर्धारित, स्वीकृत और उपयोग किए गए केन्द्र और राज्य के हिस्से का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने अलाथुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन परियोजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर उपरि टैंकों के निर्माण में कोई प्रगति हासिल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) अगस्त 2019 से, भारत सरकार, राज्यों के साथ भागीदारी में, जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को लागू कर रही है, ताकि केरल राज्य और अलाथुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का पीने योग्य पानी सुनिश्चित किया जा सके।

मिशन के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार केरल सहित संबंधित राज्य सरकारों के साथ कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती रही है। इसके अलावा, समीक्षा बैठकें, सम्मेलन, कार्यशालाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि भी उच्चतम स्तर पर आयोजित की जाती हैं, जिसमें राज्यों को समयबद्ध तरीके से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाने और कार्यान्वयन में तेजी लाने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त, मिशन के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु राज्यों के पथ-प्रदर्शन के लिए एनजेजेएम दल द्वारा फील्ड दौरे भी किए जाते

हैं। केरल के जिलों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन की जिला और ग्रामवार स्थिति सार्वजनिक डोमेन में है और निम्न जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

(ख) केरल राज्य द्वारा सूचित वर्ष-वार केन्द्रीय आवंटित निधि, आहरित निधि और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	केंद्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के तहत व्यय
	अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	2.58	248.76	101.29	103.87	62.69	57.23
2020-21	41.18	404.24	303.18	344.36	304.29	311.25
2021-22	40.07	1,804.59	1,353.44	1,393.51	957.44	1,059.57
2022-23	436.08	2,206.54	2,206.54	2,642.62	1,741.93	1,741.68
2023-24	900.69	1,342.36	671.18	1,571.87	1,465.41	1,448.53
2024-25*	106.45	1,949.36	974.68	1,081.13	963.40	949.48

स्रोत : जेजेएम - आईएमआईएस *(दिनांक 03.02.2025 की स्थिति के अनुसार)

(ग) पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों को पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन और प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। अत: ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के ब्यौरे, उनके विनिर्देशों और कार्यान्वयन के ब्यौरों सहित, भारत सरकार के स्तर पर अनुरक्षित नहीं किए जाते हैं।

*****